राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(13)एमई / ग्रुप–1 / 78 पार्ट   जयपुर, दिनांक : 14.2.2014

: : आदेश : :

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदया ने निम्न लिखित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां सहायक आचार्य मानसिक रोग के पद पर अस्थाई रूप से वेतनश्रृखंला 15600–39100 (ग्रेड पे–6600/–) में के अनुसार अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते है। ये अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, अतः वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफ.डी / रूल्स / 06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार इनके वेतन भत्ते आदि देय हैं।

क्र.स.	नाम एवं पता	जन्म तिथि	वर्ग	नियुक्ति / पदस्थापन मेडिकल कॉलेज	मेरिट संख्या
1.	डॉ0 हरफूल सिंह पुत्र श्री सोहन लाल भादू (विश्नोई) आई.टी.आई के पीछे पटेल नगर बीकानेर।	05.03.1980	पिछड़ा वर्ग (बी.सी)	मेडिकल कॉलेज बीकानेर	2
2.	डॉ0 गुन्जन, 334, निर्माण नगर ए बी, मन्दिर मार्ग अजमेर रोड़ जयपुर	14.07.1974	सामान्य महिला	मेडिकल कॉलेज जयपुर	6

उक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर इस बारें में जारी आदेशों के अनुसार की शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क–2)विभाग के परिपत्र संख्या प.8(1)कार्मिक /क–2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(7)वित्त / नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरण्डम क्रमांक 13(1) वित्त /नियम /2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशनयोजना के अन्तर्गत होंगी एवं वित्त (नियम)विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5) वित्त /नियम /2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावें शासित होगें।

उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत हैं ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीश्रण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सकों की जन्म तिथि उनके सैकण्डरी स्कूल प्रमाणपत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

14/2/14

उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय न्यायालय में दायर प्रकरण एसबीसीडब्ल्यूपी न. 6619/2009 के निर्णय के अध्ययधीन होगी।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त नियुक्तियां सेवा नियमों के अध्ययधीन निबन्धको एवं शर्तो के तथा राज्य सरकार द्वारा समय--समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्ययधीन होगी।

आज्ञा से,

14/2/14

(कैलाश चन्द्र राव)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को उनके पत्र कमांक एफ 7(47) भर्ती /गोपनीय /2010--11/254 दिनांक 0[illegible].2013 के संन्दर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/बीकानेर।
5. सम्बन्धित चिकित्सक (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)।
6. निजी पत्रावली।
7. रक्षित पत्रावली।

14/2/14

(धन्ना लाल)
शासन सहायक सचिव